

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 71/2019 प्रार्थना पत्र

उदयलाल भट्ट व अन्य

// बनाम //

कैलाशदास बैरागी व अन्य



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 26.08.2019

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने जाहिर किया कि इस प्रकरण से संबंधित मूलवाद संख्या 70/2019 का दिनांक 19.08.2019 को निर्णय हो चुका है। इसलिए प्रार्थीगण इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। तथा इस प्रकरण को इसी स्टेज पर खारिज किया जावे। अतः मूलवाद का निस्तारण होने से इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-212 रा0का0अधि0 इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी,  
निम्बाहेड़ा

